## GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEPARTMENT OF POWER) DELHI SECRETARIAT 8<sup>TH</sup> LEVEL, B-WING, I.P.ESTATE NEW DELHI – 110002

No.F.14(130)/ V.S.2025/Power/ 1331-1333 D

Dated: 20/3/2025

To,

The Dy. Secretary (Legislation), Question Branch, Delhi Vidhan Sabha, Old Secretariat, Delhi – 110054

Sub: Starred Question No.6

Sir,

Please find enclosed copy of reply of the Starred Question No.6 for 24.03.2025 (100 Copies each along with a data in PDF File Format in pen drive) for your kind information and further necessary action at your end please.

This issues with the approval of the Hon'ble Minister (Power).

Encl. As above

\\ den

(Vikas Pander

Yours faithfully,

Dy. Secretary (Power)

Copy to:-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity Department, Delhi Vidhan Sabha, Old Secretariat, Delhi - 110054 (150 Copies)

2. The OSD to Minister of Power, GNCTD

Vikas Pandey)

Dy. Secretary (Power)

## विभाग का नाम :- ऊर्जा विभाग विभाग का पता :- आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय

तारांकित प्रश्न संख्या-6 दिनाँक :-24.03.2025

प्रश्नकर्ता-श्री मुकेश अहलावत

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न		उत्तर	
क)	दिनांक 20.02.2025 से पहले व इसके	दिनांक 20.02.2025 से पहले व इसके बाद पीपीएसी		
	बाद पीपीएसी शुल्क (ऊर्जा खरीद			
	समायोजन लागत) कितनी थी और ;	इस प्रकार है :		
		डिस्कॉम	पीपीएसी शुल्क (20.2.25 से पहले)	पीपीएसी शुल्क
				(20.2.25 से बाद)
		टीपीडीडीएल	21.64 %	21.64 %
		बीआरपीएल	16.93 %	16.93%
		बीवाईपीएल	11.80 %	11.80 %
ख)	क्या डिस्कॉम इस पीपीएसी शुल्क को एक	डीईआरसी ने सुचित किया है कि डीईआरसी के		
	निश्चित सीमा तक बिना डीईआरसी की	(बिजनेस प्लान) विनियमन, 2023 के खंड 30 (4)		
	स्वीकृति के बढ़ा सकते हैं ?	के तहत आयोग ने डिस्कॉम को नियामक कार्यवाही		
		से गुजरे बिना बिलों में गणना की गई पीपीएसी का		
		एक निश्चित प्रतिशत लगाने की अनुमित दी हैं। डीईआरसी का उत्तर संलग्न है। (संलग्नक 'क')		

सूचना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है।

(विकास पाण्डे)

उप सचिव (ऊर्जा)

**VIKAS PANDEY** Dy. Secretary Department of Power Govt. of NCT of Delhi Delhi Secretariat, New Delhi-02

प्रश्न संख्या - 6-	माननीय विधायक	श्री मुकेश
अहलावत		

(क) दिनांक 20.02.2025 से पहले व इसके बाद पीपीएसी शुल्क (ऊर्जा खरीद समायोजन लागत) कितनी थी; और

Details of PPAC as on date are as follows:

आज की तिथि के अनुसार पीपीएसी का विवरण इस प्रकार है:

DISCOM Name	PPAC before 20/02/2025	PPAC after 20/02/2025	Applicable till	
BRPL	9.44%	9.44%	Till 20/03/2025	
BYPL	5.85%	5.85%	Till 20/03/2025	
TPDDL	12.89%	12.89%	Till 30/04/2025	
NDMC	45.77%	45.77%	Till 31/03/2025	

(ख) क्या डिस्कॉम्स इस पीपीएसी शुल्क को एक निश्चित सीमा तक बिना डीईआरसी की स्वीकृति के बढ़ा सकते हैं? The Commission under clause 30 (4) of *DERC* (Business Plan) Regulations, 2023 has allowed DISCOMs to levy a certain percentage of computed PPAC in the bills without going through the regulatory proceedings. The relevant clause is as follows:

डीईआरसी (बिजनेस प्लान) विनियमन, 2023 के खंड 30 (4) के तहत आयोग ने डिस्कॉम को नियामक कार्यवाही से गुजरे बिना बिलों में गणना की गई पीपीएसी का एक निश्चित प्रतिशत लगाने की अनुमति दी है। प्रासंगिक खंड इस प्रकार है::

"30. MECHANISM FOR RECOVERY OF POWER PURCHASE COST ADJUSTMENT CHARGES:

(4) The treatment of PPAC computation as per the specified formula shall be as follows:

a) in case PPAC does not exceed 5% for any quarter, the Distribution Licensee may levy PPAC at 90% of computed PPAC with prior intimation to the Commission without going through the regulatory proceedings.
b) in case PPAC exceeds 5% but does not exceed 10% for any quarter, the Distribution Licensee may levy PPAC of 5% and 75% of balance PPAC (Actual PPAC% - 5%) with prior intimation to the

VIKAS PANDEY
Dy. Secretary

Department of Power Govt. of NCT of Delhi

Delhi Secretariat, New Delhi-02

Jing landey

Commission without going through the regulatory proceedings.

- c) in case PPAC exceeds 10% for any quarter, the Distribution Licensee may levy PPAC as per sub-regulation (a) and (b) as above without going through the regulatory proceedings and shall file an application for prior approval of the Commission for the differential PPAC claim (Actual PPAC% 8.75%).
- d) The Distribution Licensee shall file Petition only for their claim of PPAC."
- 30. बिजली खरीद लागत समायोजन प्रभार की वसूली के लिए मेकेनिज्म:
- (4) निर्दिष्ट फार्मूले के अनुसार पीपीएसी गणना का प्रशोधन निम्नानुसार होगाः
  - a) किसी भी तिमाही के लिए पीपीएसी 5% से अधिक नहीं होने की स्थिति में, वितरण लाइसेंसधारी बिना विनियामक कार्यवाही के बिना आयोग को पूर्व सूचना के साथ गणना किए गए पीपीएसी के 90% पर पीपीएसी लगा सकता है।
  - घित पीपीएसी 5% से अधिक है लेकिन किसी
     भी तिमाही के लिए 10% से अधिक नहीं है,
     तो वितरण लाइसेंसधारी विनियामक
     कार्यवाही के बिना आयोग को पूर्व सूचना के

Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi-02

3

- साथ शेष पीपीएसी का 5% और 75% पीपीएसी लगा सकता है (वास्तविक पीपीएसी% 5%)।
- c) यदि किसी भी तिमाही के लिए पीपीएसी 10% से अधिक है, तो वितरण लाइसेंसधारी पीपीएसी को उप-विनियम (ए) और (वी) के अनुसार नियामक कार्यवाही के विना ले सकता है और अंतर के लिए पीपीएसी दावे (वास्तविक पीपीएसी% 8.75%) के लिए आयोग की पूर्व स्वीकृति के लिए एक आवेदन दाखिल करेगा।
- d) वितरण लाइसेंसधारी केवल पीपीएसी के
   अपने दावे के लिए याचिका दायर करेगा।

VIKAS PANDEY

Dy. Secretary
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi

Delhi Secretariat, New Delhi-02